

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञापन

क्रमांक 391/गोपनीय/2018
दो-2-1/2018

जबलपुर, दिनांक 02 अप्रैल, 2018

प्रति,

- (1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालाघाट/ दमोह/ शाजापुर/ अलीराजपुर/ मुरैना/ सीहोर/ शहडोल (म0प्र0)
- (2) सचिव,
कार्यालय लोकायुक्त संगठन,
म0प्र0 लोकायुक्त भवन,
एफ-ब्लॉक, पुराना सचिवालय,
भोपाल - 462001

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने की अवधि बढ़ाये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषय में, सूचित किया जाता है कि, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की उनकी नवीन पदस्थापना के स्थान पर, कार्यभार ग्रहण करने की अवधि दिनांक 07.04.2018 तक बढ़ायी गयी है :-

1. श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बालाघाट की उनकी नवीन पदस्थापना के स्थान पर, अर्थात् विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शहडोल के पद पर,
2. श्री दीपक शर्मा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की उनकी नवीन पदस्थापना के स्थान पर, अर्थात् प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला के पद पर ,
3. श्री शिव चरण पाण्डेय, विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, भोपाल की उनकी नवीन पदस्थापना के स्थान पर, अर्थात् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा के पद पर ,
4. श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डेय, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर जिला शाजापुर की उनकी नवीन पदस्थापना के स्थान पर, अर्थात् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के पद पर ,
5. श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की उनकी नवीन पदस्थापना के स्थान पर, अर्थात् तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वाहा जिला मण्डलेश्वर के पद पर ,
6. श्री राकेश मोहन प्रधान, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना की उनकी नवीन पदस्थापना के स्थान पर, अर्थात् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाचौड़ा जिला गुना के पद पर ,
7. श्री जय शंकर श्रीवास्तव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया की उनकी नवीन पदस्थापना के स्थान पर, अर्थात् प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवसर जिला सिंगरौली के पद पर ,
8. कुमारी अनीता बाजपेयी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की उनकी नवीन पदस्थापना के स्थान पर, अर्थात् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जौरा जिला मुरैना के पद पर ,
9. श्री अविनाश चन्द्र तिवारी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल की उनकी नवीन पदस्थापना के स्थान पर, अर्थात् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुढ़ार जिला शहडोल के पद पर।

कृपया उक्तानुसार संबंधित न्यायिक अधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें।

रजिस्ट्रार जनरल 2-4-18

पृष्ठांकन क्रमांक 392/गोपनीय/2018
दो-2-1/2018

जबलपुर, दिनांक 02 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला/ विदिशा/ छिंदवाड़ा/ मण्डलेश्वर/ गुना/ सिंगरौली को सूचनार्थ अग्रेषित।

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल